

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /2330 /2022


दिनांक : 27.07.2022

श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ1048), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी (टोंक) को दिनांक 16.08.2022 से 11.02.2023 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 13.08.2022 से 15.08.2022 एवं 12.02.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री अल्का मीना (RJ1346), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी (टोंक) को श्रीमती ज्योति देवी शर्मा के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी (टोंक) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. सुश्री अल्का मीना (RJ1346), जिन्को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी (टोंक) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

अज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/36/2016/5365

दिनांक 27.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 8904 दिनांक 12.07.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ1048), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी (टोंक)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी (टोंक)।
5. सुश्री अल्का मीना (RJ1346), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी (टोंक)।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी (टोंक)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार